# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डौन (करौली)

पीठासीन अधिकारी :— हेमराज गुर्जर (आरएएस)

प्रकरण सख्याः—02/2019 दायर दिनांकः—22.02.2019

जीसीएमएस नं. 2019/00443

विजयदेवी पत्नि हाकिमसिंह जाति जाट निवासी शेरपुर तहसील हिण्डौन जिला करौली राज0

————अपीलान्ट्स

बनाम

ग्राम पंचायत शेरपुर पंचायत समिति हिण्डौन, जिला करौली, तामिल जरिये सचिव ग्राम पंचायत शेरपुर, तहसील हिण्डौन जिला करौली।

———रैस्पोडेन्ट

**प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 76**
**राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955**

उपस्थित—1.श्री नरेन्द्र सिंह जादौन प्रार्थी/अपीलान्ट

2.सरपंच ग्राम पंचायत सोमलारात्रा रेस्पोडेन्ट

## निर्णय

दिनांकः—23.07.2024

सायल द्वारा प्रस्तुत प्रा0 पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अपीलांट द्वारा जरिये पंजीकृत विक्रय विलेख दिनांक 23.05.2018 साबिक मालिक श्रीमति कमलेश पत्नि मानसिंह जाति जाट निवासी बेहरारेखपुरा, तहसील रूपवास, जिला भरतपुर से उनकी खातेदारी व कब्जेकाश्त की आराजी भूमि खसरा नम्बर 34 रकबा 31 ऐयर, 45 रकबा 35 ऐयर, 47 रकबा 30 ऐयर, 76 रकबा 38 ऐयर, 77 रकबा 15 ऐयर, 26 रकबा 35 ऐयर, 51 रकबा 19 ऐयर, 162 रकबा 56 ऐयर, 166 रकबा 49 ऐयर, 190 रकबा 14 ऐयर, 321 रकबा 2 ऐयर कुल किता 11 कुल रकबा 3.24 है0 स्थित ग्राम चक शेरपुर, तहसील हिण्डौन जिला करौली में उनके हिस्से 1/6 में से हिस्सा 43/54 खरीदकर कब्जे में लिया है। तबसे आज दिन तक अपीलांट अपनी खरीदशुदा 43 ऐयर भूमि पर बहैसियत खातेदार काबिज व दाखिल है।

अपीलांट द्वारा अपनी खरीद दी गई उक्त आराजी भूमि के असल विक्रय पत्र के साथ तहसीलदार हिण्डौन को दिनांक 30.10.2018 को प्रार्थना पत्र पेश कर नामांतकरण तस्दीक करने का निवेदन किया, जिस पर तहसीलदार हिण्डौन के आदेश से अपीलांट के पंजीकृत वयनामा के आधार पर हल्का पटवारी द्वारा नाम[illegible] प्रविष्टि 558 दिनांक 12.10.2018 खोली गई, जिसे दिनांक 16.10.20[illegible] अभि[illegible] द्वारा जांच कर प्रविष्टिया सही दर्ज होना, खरीदशुदा भूमि पर अ[illegible] सरपंच ग्राम पंचायत शेरपुर के समक्ष वास्ते स्वीकृति किया गया, लेकिन [illegible]पश्चात हल्का पटवारी व[illegible] ने रिकॉर्ड के विपरीत दिनांक 05.11.2018 को उक्त ना[illegible]करण की प्रविष्टि पर [illegible]दार हिण्डौन, जमाबंदी खाते पर माननीय न्यायालय का स्थगन होने के कारण स्वीकृत नामांतकरण को दिनांक 05.11.2018 को खारिज कर दिया है। जिससे व्यथित होकर अपील अपीलांट निम्न आधारों पर पेश हैः—

Signature Not Verified
Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2025.06.26 15:08:50 IST
Reason: SelfAttested

1. सरपंच ग्राम पंचायत द्वारा नामांतकरण संख्या 558 दिनांक .12.10.2024 के संबंध में उसे स्वीकार करने से पूर्व मौके पर कब्जे की जांच करके एवं वयनामा में दर्ज रिकॉर्ड एवं मौजूदा जमाबंदी का अवलोकन करके ही उक्त नामांतकरण को स्वीकृत किया है। जिसे बैगर किसी स्थगन आदेश के पुनः खारिज किया जाना विधि विरूद्ध है।
2. वयनामा व नामांतकरण में दर्ज आराजी की जमाबंदी पर यदि कोई स्थगन आदेश किसी न्यायालय का दर्ज होता तो वयनामा पंजीकृत होना, वयनामा के आधार पर नामांतकरण भरा जाना, और उसकी तुलना होकर तस्दीक होना किसी भी सूरत में संभव नहीं था फिर भी सरपंच ग्राम पंचायत एवं सूखा पटवारी ने विधि विरूद्ध रूप से उक्त स्वीकृत नामांतकरण को खारिज करके भारी कानूनी भूल की है।
3. विधिक रूप से स्वीकृत नामांतकरण को अपीलांट ऑथरिटी द्वारा ही अपील में खारिज / परिवर्तित किया जा सकता है। नामांतकरण स्वीकृत करने वाले प्राधिकारी को अपने आदेश का रिव्यु करने का विधिक रूप से कोई अधिकारी नहीं है। फिर भी नामांतकरण जेरे बहस खारिज कर गम्भीर कानूनी भूल की है।
4. नामांतकरण संख्या 558 की स्वीकृति पश्चात उसका अमल जमाबंदी में किया जा चुका था, और तत्पश्चात सरपंच ग्राम पंचायत द्वारा विधि विरूद्ध रूप से बैक डेट में दिनांक 05.11.2018 को उक्त स्वीकृत नामांतकरण को खारिज कर जमाबंदी से अपीलांट का नाम हटा दिया गया, उक्त समस्त कार्यवाही गोपनीय रूप से विधि विरूद्ध संपादित की थी, जिसके संबंध में अपीलांट को सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 24.01.2019 को जमाबंदी की नकल लेते समय हुई, इस पर अपीलांट द्वारा उसी दिना नामांतकरण की नकल लेने के लिये आवेदन देने पर दिनांक 28.01.2019 को उक्त नामंतकरण की नकल प्राप्त हुई हैं।

अपील अपीलांट पेश कर निवेदन है कि अपील स्वीकार कर नामांतकरण जेरे बहस संख्या 558 दिनांक 12.10.2018 के संबंध में पारित आदेश दिनांक 05.11.2018 को मन्सूख कर निरस्त कर पुनः बयनामा दिनांक 23.05.2018 के अनुरूप नामांतकरण तस्दीक दिनांक 16.10.2018 के अनुरूप जमाबंदी में अंकन करने के आदेश करने का निवेदन किया है।

अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्टस को जरिये नोटिस तलब किया गया। रैस्पोन्डेन्ट स्वयं उपस्थित हुआ, रैस्पोन्डेन्ट द्वारा जबाव पेश किया गया जो शामिल पत्रावली किया गया।

वकील अपीलान्ट ने दस्तावेजी सबूत में नकल नामान्तकरण संख्या 558 दिनांक 12.10.2018 ग्राम पंचायत शेरपुर की प्रमाणित प्रति, जमाबन्दी संवत 2073–76, खाता संख्या नया 27 ग्राम चकशेरपुर की प्रति, जमाबन्दी संवत 2073–76 खाता संख्या 28 ग्राम चकशेरपुर, विक्रय पत्र की प्रति पेश किये हैं।

अपीलान्ट के अधिवक्तागण उपस्थित। अपीलान्ट के अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।वकील अपीलान्ट ने दौराने बहस अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराया है तथा अपीलान्ट की अपील स्वीकार करने का निवेदन किया है एवं रेस्पोन्डेन्ट द्वारा अपनी बहस कथन में प्रस्तुत जबाव में अंकित तथ्यों को दोहराया गया।

अपीलान्ट के अधिवक्तागण एवं रेस्पोंडेन्ट की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली व उसमें उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया। वकील [illegible] की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजी सबूत नकल नामान्तकरण संख्या 558 दिनांक 12.1[illegible]18 [illegible] पंचायत शेरपुर की प्रमाणित प्रति, जमाबन्दी संवत 2073–76, खाता [illegible] तहसील सूरौठ की प्रति में कमलेश पत्नि मानसिंह हिस्सा 1/6 [illegible] रकवा 0.30 है0, 76 रकवा 0.38 है0, 77 रकवा 0.15, खसरा नं0 162 रकवा 0.56 है0 1[illegible] रकवा 0.49 है0 190 रकवा 0.14 है0, 26 रकवा 0.35 है0, 321 रकवा 0.02 है0, 51 रकवा [illegible]9 है0 में कमलेश पत्नि मानसिंह हिस्सा 1/6 की खातेदारी दर्ज रिकॉर्ड है

जबकि वकील अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजी सबूत विकयपत्र दिनांक 22.05.2018 द्वारा कमलेश पत्नि मानसिंह जाति जाट निवासी बेहरारेखपुरा तहसील रूपवास जिला भरतपुर द्वारा विजयदेवी पत्नि हाकिम सिंह जाति जाट निवासी शेरपुर तहसील हिण्डौन हाल

Signature Not Verified
Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2025.06.26 15:08:50 IST
Reason: SelfAttested

तहसील सूरौठ को बेचान रजिस्टर्ड सैलडीड से अपीलान्ट को कर दिया गया जिसकी प्रति पेश की गई। नकल नामान्तकरण संख्या 558 दिनांक 12.10.2018 ग्राम पंचायत शेरपुर की प्रमाणित प्रति, जमाबन्दी संवत 2073–76, खाता संख्या नया 27, 28 ग्राम चकशेरपुर तहसील सूरौठ की प्रति में कमलेश पत्नि मानसिंह हिस्सा 1/6 खसरा नं0 47 रकवा 0.30 है0, 76 रकवा 0.38 है0, 77 रकवा 0.15, खसरा नं0 162 रकवा 0.56 है0 166 रकवा 0.49 है0 190 रकवा 0.14 है0, 26 रकवा 0.35 है0, 321 रकवा 0.02 है0, 51 रकवा 0.19 है0 में कमलेश पत्नि मानसिंह हिस्सा 1/6 दर्ज है।

दस्तावेजी सबूत नकल नामान्तकरण संख्या 558 दिनांक 12.10.2018 ग्राम चकशेरपुर की प्रमाणित प्रति, जमाबन्दी संवत 2073–76, खाता संख्या नया 27, 28 ग्राम चकशेरपुर की प्रमाणित प्रति में ग्राम पंचायत शेरपुर द्वारा दिनांक 16.10.2018 को उक्त नामान्तकरण तस्दीक किया गया एवं दिनांक 05.11.2018 को ग्राम पंचायत द्वारा नामान्तकरण संख्या 558 दिनांक 12.10.2018 को खारिज कर दिया गया जो तस्दीक करने के बाद किया गया है जो दर्ज रिकार्ड है। रेस्पोंडेन्ट का उक्त कृत्य विधि अनुसार न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। जिससे प्रकरण में अपीलान्टस द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य व राजस्व रिकॉर्ड एवं विक्रय पत्र दिनांक 23.05.2018 से एवं प्रकरण में अपीलान्टी द्वारा प्रस्तुत संलग्न दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर नामान्तकरण संख्या 558 फैंसल दिनांक 12.10.2018 में पारित आदेश दिनांक 05.11.2018 को निरस्त किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। ऐसे हालात में अपीलान्ट की अपील स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होती है।

अतः अपील अपीलान्ट विरूद्ध रेस्पोडेन्टस स्वीकार की जाती है। नामान्तकरण सं0 558 फैंसल दिनांक 12.10.2018 में पारित आदेश दिनांक 05.11.2018 ग्राम चकशेरपुर तहसील सूरौठ को निरस्त किया जाता है, तथा नायब तहसीलदार शेरपुर को आदेश दिये जाते हैं कि नियमानुसार नामान्तकरण संख्या 558 दिनांक 12.10.2018 का अमल राजस्व रिकार्ड करना सुनिश्चित करें। इस हेतु पृथक से तहरीर जारी हो। पत्रावली फैंसल सुमार होकर बाद तकमील नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

आदेश आज दिनांक 23.07.2024 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(हेमराज गुर्जर)
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन जिला करौली

Signature Not Verified

Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2025.06.26 15:08:50 IST
Reason: SelfAttested